न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 22/2021

1 श्रीराम पुत्र श्री सेडूराम आयु वयस्क जाति माली निवासी सुनारावाला तन पौंख तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)।
2 प्रेम देवी पत्नी श्रीराम, आयु वयस्क समस्त जाति माली निवासीगण सुनारावाला तन पौंख तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)।

अपीलांट

बनाम

1 सदा कंवर पत्नी पदम सिंह जाति राजपूत निवासी सिरसू तहसील मकराना जिला नागौर (राज.)।
2 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 01.03.2021
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी बमुकदमा
सदा कंवर बनाम श्रीराम मु.नं. 94/2019

उपस्थिति :

1. श्री अमित कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री झाबर सिंह शेखावत, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व ... सीकर

## –निर्णय–

दिनांकः– 28.5.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 94/2019 में पारित निर्णय दिनांक 01.03.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादिया रेस्पोडेन्ट ने एक दावा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अपीलान्टस के विरूद्ध विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी में बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया था। दिनांक 01.03.2021 को अधिनस्थ न्यायालय ने वादिया रेस्पोडेन्ट का अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्टस वादग्रस्त अराजी के रिकार्डेड खातेदार है। अपीलान्टस ने यह भूमि अराजी के रिकार्डेड खातेदारों से ही जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की थी तत्पश्चात राजस्व रिकार्ड में अपीलान्टस के नाम नामान्तकरण हुआ। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रश्नगत मामले में अजनबी (स्ट्रेंजर) है। जिसका विवादित अराजी से कोई संबन्ध नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा केवल मात्र लालच में आकर एवं अपीलान्ट को परेशान करने के लिए यह दावा एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। यह सुस्थापित विधि है कि किसी भी अजनबी के पक्ष में, रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश नहीं दिया जा सकता है। इस प्रकरण में दिनांक 10.05.2019 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनने के बाद अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं माना था, किन्तु उसी न्यायालय द्वारा दिनांक 01.03.2021 के आदेश में प्रथम दृष्ट्या मामला माना गया। एक तथ्य के संबन्ध में एक न्यायालय अपने पूर्व आदेश को परिवर्तित नहीं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

कर सकता। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सदा कंवर ने पूर्व में ग्राम पौंख में स्थित एक अन्य भूमि खसरा नम्बर 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115 तथा 2793/2121 के संबन्ध में घोषणा का दावा किया था जो कि दिनांक 28.10.1997 को डिक्री हुआ था। यदि इस प्रकरण में विवादित आराजी खसरा नम्बर 2117 व 2118 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कोई हक हिस्सा होता तो वह इस दावे में यह उज्र लेती परन्तु इस प्रकरण में विवादित आराजी से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कोई संबन्ध अथवा कोई हक हिस्सा नही होने के कारण कभी भी पूर्व में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कोई क्लेम नहीं किया। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 02 नियम 02 उपनियम (2) के अनुसार यदि किसी पक्षकार द्वारा पूर्व में वाद प्रस्तुत करने के समय अपने किसी भाग/हक का साशय त्याग किया जाता है तो यह भविष्य में उस त्याग/लोप के संबन्ध में पुनः वाद नहीं ला सकता। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्धारित करते समय प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति तीनों बिन्दुओं का न्यायालय द्वारा प्रथक रूप से विश्लेषण किया जाना चाहिए था परन्तु विचारण न्यायालय ने इस प्रकरण में ऐसा नहीं करते हुए संक्षिप्त आदेश पारित कर दिया। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि जमाबंदी वर्तमान के अनुसार ग्राम पौंख पटवार हल्का पौंख की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2117, 2118 कुल किता 2 कुल रकबा 1.20 हैक्टेयर अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि क पुराने भूमि खसरा नम्बर 145 थे। आवेदिका ने उक्त वर्णित भूमि में अनावेदकगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अनुतोष चाहा है। पत्रावली के अवलोकन से पाते है कि उक्त वर्णित भूमि पूर्व में जमाबंदी सम्वत् 2014 से 2021 तक आवेदिका के पिता सुगन सिंह पुत्र सबल सिंह के नाम से दर्ज रिकार्ड रही है। पत्रावली पर मौजूद ग्राम पंचायत पौंख का नामान्तकरण संख्या 68 दिनांक 25.07.1975 के अवलोकन से जाहिर होता है कि सुगन सिंह पुत्र सबल सिंह के फौत होने के बाद उक्त वर्णित भूमि का नामान्तकरण हरदेवसिंह के नाम से दर्ज

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

किया गया था लेकिन माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ ने अपने मु. नं. 89/2006 निर्णय दिनांक 28.10.1997 में सुगन सिंह का एकमात्र वारिस अवेदिका को माना है। आवेदिका ने उक्त वर्णित भूमि में अनावेदकगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अनुतोष चाहा है जबकि अनावेदकगण उक्त भूमि के खातेदार एवं केता है। उक्त वर्णित भूमि का राजस्व रिकार्ड पूर्व में आवेदिका के पिता के नाम से दर्ज होने से पैत्रिकता के आधार आवेदिका के हक हकुक इसमें निहित है। आवेदिका के हक हकुको का निर्णय वादपत्र में विधिवत सुनवाई तथा साक्ष्य के आधार पर होना है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण आवेदिका के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन भी आवेदिका के पक्ष में है, इस कारण अपूर्णीय क्षति भी कारित होने की सम्भावना है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जमाबंदी वर्तमान के अनुसार ग्राम पौंख पटवार हल्का पौंख की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2117, 2118 कुल किता 2 कुल रकबा 1.20 हैक्टेयर अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि क पुराने भूमि खसरा नम्बर 145 थे। आवेदिका ने उक्त वर्णित भूमि में अनावेदकगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अनुतोष चाहा है। पत्रावली के अवलोकन से पाते है कि उक्त वर्णित भूमि पूर्व में जमाबंदी सम्वत् 2014 से 2021 तक आवेदिका के पिता सुगन सिंह पुत्र सबल सिंह के नाम से दर्ज रिकार्ड रही है। पत्रावली पर मौजूद ग्राम पंचायत पौंख का नामान्तकरण संख्या 68 दिनांक 25.07.1975 के अवलोकन से जाहिर होता है कि सुगन सिंह पुत्र सबल सिंह के फौत होने के बाद उक्त वर्णित भूमि का नामान्तकरण हरदेवसिंह के नाम से दर्ज किया गया था लेकिन माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ ने अपने मु. नं. 89/2006 निर्णय दिनांक 28.10.1997 में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

सुगन सिंह का एकमात्र वारिस अवेदिका को माना है। आवेदिका ने उक्त वर्णित भूमि में अनावेदकगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अनुतोष चाहा है जबकि अनावेदकगण उक्त भूमि के खातेदार एवं क्रेता है। उक्त वर्णित भूमि का राजस्व रिकार्ड पूर्व में आवेदिका के पिता के नाम से दर्ज होने से पैत्रिकता के आधार आवेदिका के हक हकुक इसमें निहित है। आवेदिका के हक हकुको का निर्णय वादपत्र में विधिवत सुनवाई तथा साक्ष्य के आधार पर होना है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण आवेदिका के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन भी आवेदिका के पक्ष में है, इस कारण अपूर्णीय क्षति भी कारित होने की सम्भावना है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी, एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर